

कार्यालय पुलिस अधीक्षक दमोह

कमांक-पुअ/दमोह/शिका. /रा0मा0अ0आ0/4/ए/10

दिनांक- 21.05.10

प्रति,

माननीय रिसर्च आफिसर
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
6 वी मंजिल 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003

विषय:-

ग्राम सैडारा में 15 वर्षिय आदिवासी लड़की लीलाबाई पुत्री चन्दू आदिवासी की
जलाकर हत्या करने के संबंध में आवेदन पत्र का जांच प्रतिवेदन ।

संदर्भ:-

आपका पत्र कमांक-Press Clipping/ MP-1/Atro city/2010/RU-
III DATE- 19/4/2010

-0-

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांकित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पथरिया से कराई गई । जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि " दिनांक-20.3.10 को घायल लीला बाई पुत्री चंदू आदिवासी उम्र-15 वर्ष निवासी-ग्राम सैडारा थाना बटियागढ़ जिला दमोह को जली हुई अवस्था में जिला चिकित्सालय दमोह लाया गया था । घायल लीलाबाई के कथन तहसीलदार श्री जैन द्वारा कराए गए थे जांच उपरांत आरोपी गोविंद सिंह के विरुद्ध बिना नम्बर-0/10 धारा-452,307,450 ता0हि0 3(2)5,3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना बटियागढ़ में दिनांक-21.3.2010 को अपराध कमांक-57/10 धारा-452,307,450 ता0हि0 3(2)5,3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पथरिया श्री ए0के0 मिश्रा द्वारा कराई गई । घायल लीला बाई के फौत हो जाने प्रकरण में धारा-302 ता0हि0 इजाफा की गई । आरोपी गोविंद सिंह वल्द कल्याण सिंह ठाकुर उम्र-18 वर्ष निवासी-सैडारा थाना बटियागढ़ दिनांक-21.3.2010 को विधिवत गिरफ्तार कराया जाकर प्रकरण में चालान कमांक-86/10 दिनांक-07.05.2010 को तैयार कराया जाकर माननीय न्यायालय के केस नम्बर-530/10 दिनांक-14.05.2010 को प्रस्तुत कराया गया " ।

मृतिका के परिवार वालों को सहत प्रकरण तैयार कराया जाकर जिला संयोजक कार्यालय दमो की ओर भेजा गया जहाँ स्वीकृति हेतु लंबित है ।

थाना प्रभारी पथरिया को मृतिका के परिवारजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रतिवेदन सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

संलग्न- मूल शिकायत पत्र .

पुलिस अधीक्षक
दमोह

SSA, NTC
For website

11/10/10

On 19/4/10
Discussed with SSA NTC
He needs scanned copy.
Pl. do needful immediately

11/10/10